



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA)  
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित  
Certified with ISO 9001:2015



**निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली**  
**DIRECTORATE (MEDICAL) DELHI**  
क.रा.बी.नि. औषधालय सह निदान केन्द्र परिसर, मयूर विहार  
फेज़-1, नई दिल्ली- 110091  
ESIC DISPENSARY-CUM- DIAGNOSTIC CENTRE COMPLEX,  
MAYUR VIHAR PHASE-I, NEW DELHI- 110091  
E-mail ID: [dir-med.dl@esic.nic.in](mailto:dir-med.dl@esic.nic.in)

F.No. 111/F/24/13/4/2018/INCOMETAX/CASHBRANCH(M)-Part(1) Dated:30.09.2025

## परिपत्र

निर्देशालय (चिकित्सा) दिल्ली, निर्देशालय परिवार कल्याण, केंद्रीय भंडार एवं समस्त औषधालय में कार्यरत अधिकारीगण / कर्मचारीगण / चिकित्सा अधिकारीगण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित वेतन (माहवार) से आय का विवरण प्रस्तुत करते हुए आयकर अधिनियम की अनुमत धाराओं के अन्तर्गत आपको देय छूटों का विवरण प्रस्तुत करते हुए आयकर का स्वयं निर्धारण करें।

उक्त विवरण दिनांक 06/10/2025 तक अनिवार्य रूप से आहरण एवं वितरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके द्वारा देय कुल आयकर माह 10/2025 के वेतन से निरंतर मासिक किशतों में बिना पूर्व सूचना के काट लिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी की स्वयं की होगी।

स्व-निर्धारण आयकर प्रपत्र पर आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर , Tax Regime एवं कर्मचारी संख्या अंकित करना आवश्यक है।

**अतः उपरोक्त का पालन करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।**

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्न – घोषणा पत्र

**आहरण एवं वितरण अधिकारी**  
**रोकड़ शाखा**

**प्रतिलिपि:-**

1. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/परिवार कल्याण/केंद्रीय भंडार/औषधालयों के समस्त अधिकारियों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने अधीन कार्यरत सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. सूचना पट।
3. ओएसडी, आई.टी. सेल (चि.) से अनुरोध है कि परिपत्र को निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड करें।